न्यायालय – अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय,
व्यवहार न्यायालय किशनगंज
उपस्थित :– सुश्री शोभना त्रिपाठी,
C – 715/2022
R- 717/2022

जीनी प्रवीण बनाम हैदर आलम

08.07.2025 1. वाद पुकारा गया। परिवादी आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। एकमात्र अभियुक्त हैदर आलम आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। प्रस्तुत अभिलेख आज न्यायालय के समक्ष प्रत्युत्तर तथा आरोप गठन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2 अभिलेख का अवलोकन किया गया। पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा दिनांक 03.05.2023 को जॉचोपरांत अभियुक्त हैदर आलम के विरूद्ध धारा 498ए के अन्तर्गत अपराध का पर्याप्त आधार पाते हुए समन किया। अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है, कि प्रस्तुत अभिलेख दिनांक 06.12.2023 से 05.08.2024 तक परिवादी के आरोप पूर्व साक्ष्य हेतु चल रहा है। कई दिये जाने के बाद भी परिवादी द्वारा गवाही नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप दिनांक 16.06.2025 को आरोप–पूर्व साक्ष्य बंद कर दी गई। उसके बाद यह वाद प्रत्युत्तर एवं आरोप–गठन के बिन्दु पर है।

3. अभिलेख अवलोकन से यह विदित होता है कि यह वाद लंबे समय से आरोप–पूर्व साक्ष्य हेतु चला आ रहा है। पूर्व में परिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया था, परन्तु परिवादी द्वारा आरोप–पूर्व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा परिवादी द्वारा अभियुक्त से सुलह कर सुलहनामा अभिलेख पर दाखिल किया गया है। अतः सम्पूर्ण तथ्य यह इंगित करता है कि परिवादी का इस वाद में अब कोई अभिरूची शेष नहीं है तथा आरोप–गठन हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत यह न्यायालय **अभियुक्त हैदर आलम** को धारा 268 बी.एन.एस.एस (सीआरपीसी 245) के अन्तर्गत इस वाद से उन्मोचित करती है तथा अभियुक्त एवं उनके प्रतिभूओं को उनके बंधपत्र के दायित्वों से मुक्त करती है।

कार्यालय इस अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित
शोभना त्रिपाठी 08/07/25
अ0मु0न्या0दण्डा0, द्वितीय